मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2024-25 / 2984 दिनांक : 12/2/25

आदेश

M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102 से निविदा क्रमांक F.02(254)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-20/2018/1227 दिनांक 01.10.2018 के तहत् औषधि Ibuprofen and Paracetamol Tablets Ibuprofen 400 mg+Paracetamol 325 mg[22] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 330 दिनांक 04.06.2019, 418 दिनांक 18.06.2019 , 1234 दिनांक 31.12.2020 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशो की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जॉच कराये जाने पर औषधि का बैच (IBT19088) Dissolution of Paracetamol parameter में अमानक कोटि कोटि का पाया गया तथा बैच (IBT19109, IBT19107) मानक कोटि के पाये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जॉच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजे गये, बैच (IBT19088) के अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई तथा बैच (IBT19109, IBT19107) को मानक कोटि के पाये गये।

उक्त बैच को पुनः Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाये गये। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैचेज (IBT19088, IBT19109, IBT19107) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 30.12.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के उक्त बैचो को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality(Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102 की औषधि Ibuprofen And Paracetamol Tablets Ibuprofen 400 mg+Paracetamol 325 mg[22] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

Signature valid
Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.02.11 17:43:30 IST
Reason: Approved

प्रबंध निदेशक

RajKaj Ref No.: 13474126

RAJASTHAN RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/ 2984 दिनांक : 12/2/25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखंड।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.02.11 17:43:30 IST
Reason: Approved